कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Office of The Executive Engineer, Construction Division, P.W.D. Ukhimath.

E-mail.- eepwd.ukh@gmail.com

पत्रांक 2422 /13सी. दिनांक 05/09/2022

सेवा में,

उपवन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग।

विषयः– *जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत ककोला–शीशों–अमरतोन्दला–कलाकोट–जयकण्डी–बगड़धार–काण्डा–गणेशनगर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.833 है. वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तानान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।*

सन्दर्भः– *आपका पत्रांक 598/12–1(2) दिनांक 23–08–2022।*

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा चाही गई सूचना बिन्दुवार/कॉलमवार निम्नवत् प्रेषित हैः–

क्र.सं.	कमियां	निराकरण
1	भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2011– FC(Vol-1) दिनांक 06–01–2022 द्वारा एन.पी.वी. की दरों का पुर्ननिर्धारण किया गया है एवं पत्र संख्या 5–3/2011–FC(Vol-1) दिनांक 19–01–2022 के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही करने का कष्ट करें।	उक्त शर्त वर्तमान में इस प्रस्ताव पर लागू नही है।
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का राजस्व अभिलेखों (खसरा/खतौनी नं. अंकित करते हुये) के अनुसार मिलान कर मानचित्र/उपयुक्तता प्रमाण–पत्र खसरा संख्या का उल्लेख करते हुये मूल प्रति में उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें।	प्रस्ताव में वनभूमि 1 है. से कम हैं जिस कारण उक्त शर्त लागू नही है।
3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरित भूमि को वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित घोषित किये जाने का प्रमाण पत्र भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	प्रस्ताव में वनभूमि 1 है. से कम हैं जिस कारण उक्त शर्त लागू नही है।
4	उपरोक्त के अतिरिक्त इस आशय का प्रमाण–पत्र भी उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है कि प्रस्ताव में स्वीकृत समरेंखण में ही वृक्षों का पातन एवं स्वीकृत समरेंखण में ही मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है।	प्रमाण–पत्र सलंग्न है।
5	यदि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्तावक विभाग को Working permission दे दी गयी है, तो उसकी प्रति भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो के अनुपालन एवं एन. पी. वी. की धनराशि जमा करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया गया है
6	यदि प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र आरक्षित वन है तो उसका अधिसूचना (Notification) भी अनुपालन आख्या के साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	लागू नही है।

(हस्तलिखित टिप्पणी: 8/9/2022 ...)

Scanned with OKEN Scanner

7	प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1269/P.O दिनांक 10-06-2022 द्वारा जारी पत्र में उल्लेखित बिन्दु-01 कृपया सुनिश्चित करें कि ये क्षेत्र जब सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वन विभाग के पक्ष में दाखिल खारिज किये जाते है तो उस आदेश में यह स्पष्ट इंगित हो कि प्रश्नगत सिविल क्षेत्र का रकवा कितना है तथा उनमें से कितना क्षेत्र वन विभाग के पक्ष में दाखिल खारिज किया जा रहा है एवं यह क्षेत्र पूर्व में किसी अन्य योजना में अथवा वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व में गठित प्रस्ताव में नही दिया गया है।	लागू नही है।

सलंग्नः-प्रमाण-पत्र 4 प्रति मूल में।

भवदीय,

05/09/2022

(इं. मनोज कुमार भट्ट)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)।

5.9.22

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक - 1

परियोजना का नामः– जनपद–रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत ककोला–शीशों–अमरतोन्दला–कलाकोट–जयकण्डी–बगडधार–काण्डा–गणेशनगर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.833 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

स्वीकृत समरेखण में ही वृक्षों का पातन एवं मोटर मार्ग निर्माण किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु स्वीकृत समरेंखण में ही वृक्षों का पातन एवं मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
ऊखीमठ

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
ऊखीमठ

Scanned with OKEN Scanner

ई. मेल : dforudraprayag@gmail. Com
फोन / फैक्स नं0 :– 01364 – 233505::
पता –: जवाडी बाईपास रूद्रप्रयाग संलग्नक-2

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक 2351 / 9-1 दिनांक 27/05/2019::

सेवा में,

प्रभागीय लौगिक प्रबन्धक,
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
कर्णप्रयाग।

विषय – जनपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत ककोला– शीशी – अमरतोन्दला – कलाकोट – जयकण्डी –बगडधार – काण्डई – गणेशनगर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.833 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण करने के संबंध में।

महोदय,

वन क्षेत्राधिकारी, अगस्तमुनि राजि की पत्र संख्या– 991 / 12–1 दिनांक 06.04.2019 द्वारा जनपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत ककोला– शीशी–अमरतोन्दला – कलाकोट – जयकण्डी –बगडधार –काण्डई –गणेशनगर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.833 है0 मे आने वाले वृक्षों का छपान कर आपको लौट संख्या– 04 / 2019–20 आंवटित किया जाता है। आप नियमानुसार बिक्री की शर्तो के अनुसार बाउण्ड्री रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के उपरान्त लौट में कार्य प्रारम्भ करवाने तथा लौट में वृक्षों के पातन प्रगति की पाक्षिक सूचना नियमित रूप से इस कार्यालय को भेजें व लौट की रायल्टी की धनराशि वन पंचायत / सिविल, आरक्षित, नापखेत के अपनी स्तर से भुगतान करे व सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करें।

क्र0 सं0	रेंज का नाम	स्थान का नाम	प्रजाति	पातित किये जाने वाले वृक्षों की संख्या	लौट संख्या	लौट पातन की अन्तिम तिथि
01	अगस्तमुनि राजि	नाप खेत ककोला	भीमल	01	04 / 2019–20	31 / 03 / 2020
			महुआ	01		
			बांज	01		
			चीड़	01		
			योग :–	04		
02		नाप खेत शीशी	चीड़	04		
			भीमल	04		
			तिमला	02		
			खैड़ा	05		
			योग :–	15		
		कुल योग :–		19		

संलग्नक – उपरोक्तानुसार छपान सूची।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)
उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या 2351 / *तद्‌दिनांकित।*
प्रतिलिपि– उप प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग उप वन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या 2351 / *तद्‌दिनांकित।*
प्रतिलिपि – वन क्षेत्राधिकारी, अगस्तमुनि राजि की पत्र संख्या– 991 / 12–1 दिनांक 06.04.2019 के अनुसार इस आशय से प्रेषित कि नियमानुसार बिक्री की शर्तो के अनुसार बाउण्ड्री रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के उपरान्त लौट में कार्य प्रारम्भ करवाने तथा लौट मे वृक्षों के पातन प्रगति की पाक्षिक सूचना नियमित रूप से इस कार्यालय को भेजे।

(हस्ताक्षर)
उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

Scanned with OKEN Scanner

ई. मेल :- [illegible]@gmail.com
फोन / फैक्स नं0 :- 01364 – 233505::
पता :- जवाड़ी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक 2350 / 9–1 दिनांक 27 /05/2019::

सेवा में,

प्रभागीय लौगिक प्रबन्धक,
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
कर्णप्रयाग।

विषय – जनपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत ककोला– शीशी–अमरतोन्दला – कलाकोट – जयकण्डी –बगडधार –काण्डई –गणेशनगर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.833 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण करने के संबंध में।

महोदय,

वन क्षेत्राधिकारी, अगस्तमुनि राजि की पत्र संख्या– 991/12–1 दिनांक 06.04.2019 द्वारा जनपद रूद्रप्रयाग मे राज्य योजना के अन्तर्गत ककोला– शीशी–अमरतान्दला – कलाकोट – जयकण्डी –बगडधार –काण्डई –गणेशनगर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.833 है0 मे आने वाले वृक्षों का छपान कर आपको लौट संख्या– 03/2019–20 आंवटित किया जाता है। आप नियमानुसार विक्री की शर्तो के अनुसार बाउण्ड्री रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के उपरान्त लौट में कार्य प्रारम्भ करवाने तथा लौट में वृक्षों के पातन प्रगति की पाक्षिक सूचना नियमित रूप से इस कार्यालय को भेजें व लौट की रायल्टी की धनराशि वन पंचायत /सिविल, आरक्षित, नापखेत के अपनी स्तर से भुगतान करे व सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करें।

क्र0 सं0	रेंज का नाम	स्थान का नाम	प्रजाति	पातित किये जाने वाले वृक्षों की संख्या	लौट संख्या	लौट पातन की अन्तिम तिथि
01	अगस्तमुनि राजि	ककोला वन पंचायत	बांज	10	03/2019–20	31/03/2020
			योग :–	10		
कुल योग :–				10		

संलग्नक – उपरोक्तानुसार छपान सूची।

भवदीय,

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या 2350 / *तद्दिनांकित।*
प्रतिलिपि– उप प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग उप वन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या 2350 / *तद्दिनांकित।*
प्रतिलिपि – वन क्षेत्राधिकारी, अगस्तमुनि राजि की पत्र संख्या– 991/12–1 दिनांक 06.04.2019 के अनुसार इस आशय से प्रेषित कि नियमानुसार विक्री की शर्तो के अनुसार बाउण्ड्री रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के उपरान्त लौट में कार्य प्रारम्भ करवाने तथा लौट में वृक्षों के पातन प्रगति की पाक्षिक सूचना नियमित रूप से इस कार्यालय को भेजें।

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

Scanned with OKEN Scanner